# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 2859/2025**

मुकेश कुमार मुवाल **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), चूरू संभाग, जिला चूरू।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
5. प्रधानाचार्य, शहीद महेश कुमार मीणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लापुवा, जिला सीकर।
6. श्री नवीन सैनी, वरिष्ठ सहायक वर्तमान में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक श्रीमाधोपुर, जिला सीकर पदस्थापित।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 21.05.2025
**आदेश की दिनांक** : 30.06.2025

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री प्रदीप कलवानिया, अभिभाषक
**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर शहीद महेश कुमार मीणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लापुवा, जिला सीकर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 18.05.2025 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर किया गया है। उनका तर्क है कि मात्र 24 घण्टे की अवधि में निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 को अपीलार्थी के स्थान पर

समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान परिवर्तित किया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2018 में हुई थी और दिनांक 28.03.2025 को डीपीसी आयोजित कर आदेश दिनांक 28.03.2025 के द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2024 के विरूद्ध वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 18.05.2025 के द्वारा अपीलार्थी को शहीद महेश कुमार मीणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लापुवा, सीकर से कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, श्रीमाधोपुर करते हुये उसे संशोधित पदस्थापित स्थान दीगेन्द्र कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Jhalara, नीम का थाना, जिला सीकर किया गया है। अपीलार्थी का पदस्थापन बिना किसी अनुरोध के एवं बिना प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 18.05.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को शहीद महेश कुमार मीणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लापुवा, सीकर में कार्यरत रखे जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 18.05.2025 के द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति उपरांत दीगेन्द्र कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Jhalara नीम का थाना, जिला सीकर पदस्थापित किया गया है। चूंकि उक्त विद्यालय में वरिष्ठ सहायक का पद काफी लम्बे समय से रिक्त चल रहा था, जिसके कारण प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर अपीलार्थी का पदस्थापन किया गया है। चूंकि शहीद महेश कुमार मीणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लापुवा, सीकर में वरिष्ठ सहायक का पद स्वीकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का पदस्थापन Jhalara, नीम का थाना, जिला सीकर किया गया है, जो नियमानुसार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ सहायक के पद पर शहीद महेश कुमार मीणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लापुवा, जिला सीकर में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को लापुवा, सीकर से Jhalara, नीम का थाना, सीकर पदस्थापित

किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि *''वर्ष 2024–25 की डीपीसी से चयनित वरिष्ठ सहायक के पदस्थापन आदेश जारी किये गये थे, में निर्देशानुसार निम्नानुसार संशोधित कर उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय/विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है।''* इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण नहीं हुआ है अपितु अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति उपरांत संशोधित पदस्थापन स्थान Jhalara, सीकर किया गया है। इस प्रकार हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि मात्र 24 घण्टे की अल्पावधि में ही निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान परिवर्तित किया गया है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किसी कार्मिक की सेवायें राज्य हित में कहां पर ली जानी है। किसी भी कार्मिक को अपने इच्छित स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार हम उक्त तर्कों में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**